निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 ज्येष्ठ 1945 (श0)

(सं0 पटना 444) पटना, मंगलवार, 30 मई 2023

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

10 अक्तूबर 2013

"बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड"

सं० 02/एम०एम०(बा०) 04/13–2627/एम०—**1.** खनन के वर्तमान परिवेश में आमूल परिवर्तन आया है। इसका मुख्य कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन के संबंध में दिनांक–27.02.2012 को दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को दिया गया विस्तृत नीतिगत निर्देश है। साथ ही विगत कई वर्षों से बिहार राज्य द्वारा लगभग सभी क्षेत्रों में विकास को देखते हुए यह अपरिहार्य हो गया है कि खनन क्षेत्र में भी ऐसी संभावनाओं की तलाश की जाय जिससे न केवल राज्य सरकार के आंतरिक संसाधनों में बढ़ोतरी हो अपितु अन्य विभागों, विशेषकर पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, उर्जा विभाग आदि द्वारा किये जा रहे विकास के कार्यों में खनन विभाग की सहभागिता बनी रहे। विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन तथा सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए outsourcing की व्यवस्था में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार की बदली हुई परिस्थिति में यह आवश्यक है कि एक ऐसे निकाय का गठन किया जाए जो सरकार के समावेशी विकास के नीतिगत सिद्धांतों को त्वरित गति से क्रियान्वित कर सके। ऐसे निकाय के गठन से राज्य के खनन क्षेत्रों में न केवल अवैध खनन की रोकथाम होगी, अपितु राजस्व में वृद्धि के साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के व्यापक विकासशील नीतियों के कार्यान्वयन में अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करके त्वरित गति से राज्य की प्रगति में सहायक होगी।

2. (i) राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कंडिका (1) में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक नये निगम यथा **"बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड"** का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत करने का प्रस्ताव है।

(ii) बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के प्रस्तावित कार्य गठन, उद्देश्य, कार्यकलाप,प्रारंभिक संगठनात्मक ढाँचा, मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तथा नये निगम के लाभ इत्यादि **परिशिष्ट 'क'** पर रक्षित है।

(iii) प्रस्तावित निगम के प्रथम निदेशकगण निम्नवत् होंगे :–

(a)	विकास आयुक्त, बिहार सरकार	–	अध्यक्ष।
(b)	प्रधान सचिव/ सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार	–	निदेशक।
(c)	प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	–	निदेशक।
(d)	प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार	–	निदेशक।

(e) प्रधान सचिव/ सचिव, उर्जा विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(f) प्रधान सचिव/ सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(g) प्रधान सचिव/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(h) प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(i) प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(j) निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।

(iv) बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के प्रस्तावित निदेशक पर्षद एवं शेयरधारक निम्नवत् रहेगें :–

(a) विकास आयुक्त, बिहार सरकार – अध्यक्ष।
(b) प्रधान सचिव/ सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(c) प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(d) प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(e) प्रधान सचिव/ सचिव, उर्जा विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(f) प्रधान सचिव/ सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(g) प्रधान सचिव/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(h) प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(i) प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।
(j) निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार – निदेशक।

(v) राज्य सरकार प्रस्तावित निगम के निदेशक पर्षद में एक या अधिक व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नामित कर सकती है।

(vi) प्रस्तावित निगम एक प्रारंभिक संगठनात्मक ढाँचे के साथ अपने कार्यों का संपादन करेगी। उपर्युक्त ढाँचा एक सांकेतिक ढाँचा है जिसे कालान्तर में अनुभव एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निदेशक पर्षद की सहमति से तथा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत कार्यहित में संशोधित किया जा सकता है।

3. (i) प्रस्तावित निगम की अधिकृत पूँजी (Authorized Capital) रू0 50 करोड़ होगी तथा Paid up Capital रू० 20 करोड़ होगी।

(ii) राज्य सरकार नए प्रस्तावित निगम को रू० बीस करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूँजी उपलब्ध करायेगी।

4. राज्य सरकार बिहार राज्य खनन निगम को पूर्वेक्षण/खनन कार्य हेतु अधिकार सौपने के उद्देश्य से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 17(A)(2) के प्रावधानों के तहत् केन्द्र सरकार से बिहार राज्य के उन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने का अनुरोध करेगी जो किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/ खनन पट्टा पर धारित/ आच्छादित नहीं हैं।

5. प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को आवश्यक दस्तावेजों पर भौतिक/ डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने, कंपनी के गठन हेतु आवश्यकतानुसार पेशेवर कर्मियों की सेवायें लेने एवं बिहार राज्य की कम्पनियों के निबंधक के यहाँ कंपनी को निबंधित करने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है एवं पुनः संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव को कम्पनी के गठन हेतु होने वाले कार्यों पर व्यय के लिए भुगतान की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
बी० प्रधान,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 444-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in